राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या 151/2020

1. कोशल किशोर पुत्र डेडाराम बंसल
2. भारत भूषण बंसल पुत्र डेडाराम बंसल
   जाति महाजन निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र देशराज जाति गुर्जर निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने

निर्णय   दिनांक : 21–12–2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम लगरियावाला पटवार हल्का राजोता स्थित जमान्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 41 के ख.नं. 495 रकबा 1.32 है. ख.नं. 496 रकबा 8.68 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 10.00 हैक्टर के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। ग्राम लगरियावाला पटवार हल्का राजोता स्थित भूमि खसरा नम्बर 1253/496 रकबा 0.76 हैक्टर का अप्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 495 व 496 के पश्चिमी दिशा में तथा ख.नं. 495 के उत्तर दिशा में वन विभाग की भूमि है। ख.नं. 496 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि स्थित है तथा ख.नं. 495 के पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि लगती है। जो सींव जोड़ है। प्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 496 की उत्तरी सीमा व ख.नं. 495 की पूर्वी सीमा अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 1253/496 के साथ लगती है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 496 की उत्तरी सीमा व ख.नं. 495 की पूर्वी सीमा के साथ तोड़ फोड़ करता रहता है। सीमा को तोड़ देता है। जब प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को सीमा ठीक करने के लिये कहते हैं तो वह नहीं मानता व मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 496 के पश्चिमी सीमा व ख.नं. 495 की उत्तरी, दक्षिणी व पश्चिमी व पूर्वी सीमा के साथ वन विभाग की भूमि लगती है। वन विभाग के कर्मचारी भी प्रार्थी को उसकी भूमि को वन विभाग में लेने की धमकी देते हैं व सीमा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्रार्थीगण ने तहसीलदार खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार खेतड़ी ने पटवारी राजोता के नाम से प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 495 व 496 का सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए पटवार मण्डल राजोता दिनांक 03.07.2018 को ग्राम लगरियावाला के ख.नं. 495, 496 का सीमा ज्ञान करवाने हेतु मौके पर पहुंच उसके बाद पटवार मण्डल ने मुताबिक नक्शा लठ्ठा से वन विभाग का सर्वेयर (अमीन) व वनपाल योगेन्द्र सिंह की उपस्थिति में व प्रार्थी भारत भूषण बंसल की उपस्थिति में सर्वे करवाया एवं सर्वे सीमाज्ञान करवाकर मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये व सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत ख.नं. 495, 496 के साथ तोड़ी गई सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 व अपार्थी सं. 2 के कर्मचारी नहीं मान रहे हैं जो प्रार्थी की भूमि ख.नं. 495, 496 की सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.31 15:04:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इसलिये प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख.नं. 495, 496 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लगरियावाला तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 495 रकबा 1.32 है., ख.नं. 496 रकबा 8.68 है. की उत्तरी व पूर्वी सीमा जो ख. नं. 1253/496 के साथ लगती है तथा ख.नं. 495, 496 की पश्चिमी सीमा व ख.नं. 495 की उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी सीमा जो वन विभाग की भूमि के साथ लगती है की सर्वेसीट से नपती करवाकर ख.नं. 495 की पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी व दक्षिणी सीमा पर व ख.नं. 496 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्अ व पत्थर के पीलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 41 लगरियावाला, नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2018 पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। ग्राम लगरियावाला की जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 41 के ख.नं. 495 रकबा 1.32 है., ख.नं. 496 रकबा 8.68 है. की खातेदारी कोशल किशोर बंसल पुत्र डेडराज बंसल व भारत भूषण बंसल पुत्र डेडराज बंसल जाति महाजन निवासी नालपुर दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2018 द्वारा पटवारी हल्का राजोता के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2018 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो विधिसम्मत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम लगरियावाला की जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 41 के ख.नं. 495 रकबा 1.32 है., ख.नं. 496 रकबा 8.68 है. भूमि की सर्वेसीट से नपती कर सीमा कायम कर फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2018 के सीमांकन के अनुसार पुनः सीमाज्ञान कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

21/12/202

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.31 15:04:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner